डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुज्ञप्ति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी. 2 डब्ल्यू. पी./303/2000.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी./108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 फरवरी 2000—माघ 14, शक 1921

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2000

क्र. 1304-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 13 जनवरी 2000 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. सिटोके, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०००

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९९.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा [illegible] का स्थापन.
४. धारा [illegible] का संशोधन.
५. धारा [illegible] का संशोधन.
६. नई धारा ३१-क, ३१-ख और ३१-ग का अन्तःस्थापन.
७. नई धारा ३७-क और ३७-ख का अन्तःस्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 4 सन् 2000

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९९.

[दिनांक 13 जनवरी, 2000 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 3 फरवरी, 2000 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९५ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९९ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

धारा २ का संशोधन.

२. महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९५ (क्रमांक ३० सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चच) "आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ३) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;";

(दो) खण्ड (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दद) "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय पीठम्;".

धारा ४ का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय की शक्तियां.

"४. विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(एक) केवल वैदिक विद्या तथा पद्धति की समस्त शाखाओं में, जिसमें दर्शन, आगम शेत्र, इतिहास, पुराण, उपवेद और ज्ञान-विज्ञान सम्मिलित हैं, शिक्षण के लिए तथा संस्कृत के अध्ययन की प्रोन्नति तथा विकास के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और उपरोक्त क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए और अभिवर्धन के लिए व्यवस्था करना और इन क्षेत्रों में वह,—

(क) ऐसी शर्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र दे सकेगा और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान कर सकेगा और ऐसे उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को उचित तथा पर्याप्त कारणों से वापस ले सकेगा;

(ख) बहिर्वर्ती (एक्सट्रान्यूरल) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा आयोजित कर सकेगा और उसका जिम्मा ले सकेगा;

(ग) सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्रदान कर सकेगा;

(घ) दूर शिक्षा पद्धति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा;

(ङ) उच्च विद्या प्रदान करने वाली संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे मान्यता दे सकेगा तथा ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगा;

(च) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी या उच्च विद्या प्रदान करने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सहकार कर सकेगा या सहयोग कर सकेगा या उनके साथ सहयुक्त हो सकेगा;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिका, पदक तथा पुरस्कार संस्थित कर सकेगा और दे सकेगा;

(ज) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध कर सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसा ठहराव कर सकेगा जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(झ) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (कोर्सेस), अभिविन्यास (ओरिएण्टेशन) पाठ्यक्रमों, कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा और उनका संचालन कर सकेगा;

(दो) किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्था में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(तीन) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे हों, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(चार) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(पांच) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षा केन्द्रों, विशेष केन्द्रों, विशेषज्ञीय प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(छह) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा छात्र निवासों को स्थापित करना तथा उनको संधारित करना;

(सात) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में ऐसे विशेष इन्तजाम करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(आठ) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर), प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें, संविदा पर नियुक्त करना;

(नौ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;

(ग्यारह) प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान नियत करना;

(बारह) फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इन्तजाम करना;

(चौदह) कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी है, अधिकथित करना;

(पन्द्रह) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना तथा इस संबंध में ऐसे अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(सोलह) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इन्तजाम करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यास सम्पत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, प्रबंध करना और उसका व्ययन करना।

(अठारह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(उन्नीस) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों :

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा और कोई भी केन्द्र स्थापित नहीं किए जाएंगे या चलाए नहीं जाएंगे.''

धारा ९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा (९) में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) प्रथम कुलाधिपति के पश्चात्, प्रबन्ध बोर्ड तीन व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा. राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, पैनल में से एक व्यक्ति को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार नियुक्त कुलाधिपति चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.''.

धारा १७ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (आठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(आठ) प्रमुख सचिव/भारसाधक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;'';

(ख) खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

''(नौ) शिक्षा के क्षेत्र में दो विख्यात विद्वान जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(दस) वैदिक शिक्षा में और सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,".

3. मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :— नई धारा 31-क, 31-ख और 31-ग का अन्तःस्थापन.

"31-क. (1) प्रायोजक निकाय एक निधि स्थापित करेगा जो स्थायी विन्यास निधि कहलाएगी, जिसमें वह राज्य सरकार द्वारा जारी की गई या प्रत्याभूत की गई प्रतिभूतियों में विनिधान करेगा और विनिधान किए रहेगा. विन्यास निधि की स्थापना.

(2) स्थायी विन्यास निधि, ढाई करोड़ रुपए की राशि से या तीन वर्ष के आवर्ती व्ययों के समतुल्य राशि से, इनमें से जो भी अधिक हो, मिलकर बनेगी. राज्य सरकार की दीर्घकालिक ब्याज वाली प्रतिभूतियों में या किन्हीं ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, रखी जायेगी."

31-ख. विश्वविद्यालय की भी एक निधि होगी जो साधारण निधि कहलाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— साधारण निधि.

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस तथा अन्य प्रभार;

(ख) स्थायी विन्यास निधि से आय;

(ग) किसी अन्य स्रोत से आय; और

(घ) प्रायोजक निकाय द्वारा किए गए कोई अभिदाय.

31-ग. विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से या उसके स्वामित्व के या उसके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था से सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.". विश्वविद्यालय स्वविनयोजित होगा.

4. मूल अधिनियम की धारा 39 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:— नई धारा 39-क और 39-ख का अन्तःस्थापन.

"39-क. (1) यदि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध और उसके द्वारा विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी भी निदेश का अतिक्रमण हुआ है या विश्वविद्यालय के कुप्रबंध की शिकायत की प्राप्ति पर वह विश्वविद्यालय को उससे यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगी कि वह ऐसे समय के भीतर जो पैंतालीस दिन से कम नहीं होगा कारण बताए कि क्यों न उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपाधिपत्रों या प्रमाण-पत्रों या प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं की राज्य सरकार द्वारा मान्यता वापस लिए जाने के आदेश कर दिए जाएं. कतिपय परिस्थितियों में उपाधियों आदि की मान्यता वापस लेना.

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कुप्रबंध या इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन जारी किए गए निदेशों के अतिक्रमण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह ऐसी जांच का, जैसी कि वह उचित समझे, आदेश करेगी.

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अभिकथनों की जांच करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी.

(४) उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का सं. ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) साक्षियों को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री के, जो साक्ष्य के रूप में पेश करने योग्य है, प्रकटीकरण तथा पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(घ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाए.

(५) प्रत्येक जांच प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच करते समय दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १९५ तथा अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

(६) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रबंध है या उसने राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों या इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आगामी सत्र से प्रदान किए जाने वाले उपाधिपत्रों या प्रमाण-पत्रों या प्रदत्त की जाने वाली उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं की मान्यता वापस लिए जाने के आदेश करेगी.

(७) उपधारा (६) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, मध्यप्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी.

राज्य सरकार की शक्तियां

२७-ख. राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति की नियुक्ति का अनुमोदन करना;

(ख) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित किसी बात को करने के लिए निदेश जारी करना या उसके किसी अतिक्रमण का परिशोधन करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय, आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करना और ऐसे विवादों पर उसके विनिश्चयों का अनुपालन करने हेतु निदेश जारी करना;

(घ) विशिष्ट विषयों पर धारा २४ के अधीन परिनियमों को विरचित करने का आदेश देना;

(ङ) सामान्यतः ऐसे आदेश जारी करना, जैसा कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है.''.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2000

क्र. 1305-इक्कीस-अ(प्रा).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 5 सन् 2000) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सिटोके, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 5 OF 2000

MAHARISHI MAHESH YOGI VEDIC VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Substitution of Section 4.
4. Amendment of Section 9.
5. Amendment of Section 17.
6. Insertion of new Sections 31-A, 31-B and 31-C.
7. Insertion of new Sections 37-A and 37-B.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 5 OF 2000

MAHARISHI MAHESH YOGI VEDIC VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1999.

[Received the assent of the Governor on the 13th January, 2000; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 3rd February, 2000.]

An Act to amend the Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fiftieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called Maharish Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1995 (No. 37 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) After clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ff) 'Commission' means the University Grants Commission established under the Univer-
sity Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);"

(ii) After clause (r), the following clause shall be inserted, namely :—

"(rr) 'Sponsering Body' means the Maharishi Ved Vigyan Vishwavidyalaya Peetham.".

Substitution of Section 4.

3. For Section 4 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

Powers of the University.

"4. The University shall have the following powers, namely :—

(i) to provide for instruction only in all branches of Vedic Learning and Practices including Darshan, Agam Tantra, Itihas, Puranas, Upvedas and Gyan-Vigyan and the promotion and development of the study of sanskrit as the University may from time to time determine and to make provision for research and for the advancement in the above fields and in these fields may—

(a) grant, subject to such conditions as the University may determine, deplomas or certificates and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examination, evaluation or any other method of testing on, persons and withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

(b) organise and under take extra mural studies, training and extension services;

(c) confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;

(d) provide facilities through the distance education system;

(e) recognise an institution of higher learning for such purposes as the University may determine and withdraw such recognition;

(f) co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner and for such purposes as the University may determine ;

(g) institute and award fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(h) make provision for research and advisory services and for that purpose enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisations, as the University may deem necessary;

(i) organise and conduct refresher courses, orientation courses, workshops, seminars and other programmes for teachers evaluators and other academic staff.

(ii) to recognise persons for imparting instruction in any college or institution maintained by the University;

(iii) to appoint persons working in any other University or organisation as teacher of the University for a specified period;

(iv) to create teaching administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(v) to establish such campuses, special centres, specified laboratories or other units for research and instruction as are in the opinion of the University necessary for the furtherance of its objects;

(vi) to establish and maintain colleges Institutions and Halls;

(vii) to make special arrangements in respect of the residence discipline and teaching of women students as the University may consider desirable;

(viii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors Emeritus, Professors, Consultants, Scholars and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(ix) to confer automonous status on a college or an Institution or a Department as the case may be, in accordance with the statutes;

(x) to determine standards of sdmission to the University which may include examination, evaluation or any other method of testing;

(xi) to fix quota for students belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for admission purposes;

(xii) to demand and receive payment of fees and other charges;

(xiii) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(xiv) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;

(xv) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;

(xvi) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;

(xvii) to receive benefications donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable including trust and endowment properties for the purposes of the University;

(xviii) to borrow on the sequrity of the property of the University, money for the purposes of the University;

(xix) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects :

Provided that no course shall be conducted and no centres shall be established or run without prior approval of the State Government.".

4. In Section 9 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :— Amendment of Section 9.

"(2) after the first Chancellor, the Board of Management shall prepare and submit a panel of three persons to the State Government. Out of the panel one person shall be appointed as Chancellor by the Board of Management after obtaining the approval of the State Government. The Chancellor so appointed shall hold office for a term of four years and shall be eligible for re-appointment.".

5. In Section 17 of the Principal Act, in sub-section (1)— Amendment of Section 17.

(a) for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(viii) Principal Secretary/Secretary-in-charge of Higher Education Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary.";

(b) for clause (ix), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(ix) two renowned scholar in the field of education to be nominated by the State Government;

(x) Four persons of distinction in Vedic education and public life to be nominated by the Chancellor.".

Insertion of new Sections 31-A, 31-B and 31-C.

6. After Section 31 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

Establishment of Endowment Fund.

"31-A. (1) The sponsoring body shall establish a Fund called Permanent Endowment Fund in which it shall invest and keep invested in securities issued or guaranteed by the State Government.

(2) The Parmanent Endowment Fund shall consist of a sum of rupees two and half crores or a sum equivalent to the recurring expenses for three years whichever is more to be ketpt in long term interest bearing securities of the State Government or any such other securities as the State Government may approve in this behalf.

General Fund.

31-B. The University shall also have a fund called the General Fund which shall consist of —

(a) fees and other charges received by the University;

(b) income from the Permanent Endowment Fund;

(c) income from any other source; and

(d) any contributions made by the sponsoring body.

niversity to be Self Financing.

31-C. The University shall not be entitled to receive grant-in-aid or other financial assistance from the State Government or from any other institution owned or controlled by it."

Insertion of new Sections 37-A and 37-B.

7. After Section 37 of the Principal Act, the following sections shall be inserted, namely :—

Derecognising the degree etc., in certain circumstances.

"37-A. (1) If the State Government notices violations of any of the provisions of this Act and the directions issued by it to the University under this Act or on receipt of a complaint of mismanagement by the University, it shall issue a notice to the University calling upon the University to show-cause within such time not less than forty five days as to why the diplomas or certificates to be granted or degrees and other academic distinction to be conferred should not be ordered to be derecognised by the State Government.

(2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice under sub-section (1), the State Government is satisfied that a *prima-facie* case of mismanagement or violation of the provisions of this Act or any directions issued thereunder is made out, it shall order such inquiry as it may deem necessary.

(3) For the purposes of any inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification in the Official Gazette appoint an officer or authority as the inquiring authority to inquire into and report upon the allegations.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any witnesses and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document or other material which is producible as evidence;

(c) requisitioning of any public record any court of office;

(d) any other matter which may be prescribed by rules.

(5) Every inquiring authority making an inquiry under this Act shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of Section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

(6) If, upon receipt of the inquiry report the State Government is satisfied that the University has been mismanaged or has violated any of the directions of the State Government or provisions of this Act, it shall by notification in the Official Gazette, order derecognition of the diplomas or certificates to be granted or degree and other academic distinctions to be conferred from the ensuing session.

(7) Every notification issued under sub-section (6) shall be laid before the Madhya Pradesh Legislative Assembly.

Power of the State Government.

37-B. The State Government shall have the following powers, namely :—

(a) to approve the appointment of Chancellor;

(b) to issue directions to do any thing required to be done by the University under the provisions of this Act, Rules, the Statutes, or the Ordinances made thereunder or to rectify any violation thereof;

(c) to adjudicate disputes under this Act between the University, the Commission or any other expert body and to issue directions to comply with its decisions on such disputes;

(d) to order framing of Statutes under Section 24 on particular subjects;

(e) to generally issue such orders as may be required to be followed by the University under this Act or any other law for the time being in force.".

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2000